N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0329 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 13/12/2025 17:28 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 05/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 12/12/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 20:06 बजे **Time To (समय तक):** 09:22 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/12/2025 **Time (समय):** 14:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 13/12/2025 17:28:43 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 75 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** POLICE CHAUKI PIPLIYA, JILA BEAWAR RAJASTHAN

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** AJAYPAL SINGH
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** HAZARI SINGH
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KHEWAL, RAIPUR, RAIPUR, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KHEWAL, RAIPUR, RAIPUR, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BHAGARAM		पिता:MANGILAL	1. BIRAWAS,BILARA,BILARA,JODHPUR

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में , श्रीमान एडिशनल SP साहबACB पाली – II विषय – रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने के सम्बन्ध में महोदय जी, उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं अजयपाल सिंह s/o हजारी सिंह जाति- रावत उम्र -30 वर्ष निवासी –खिंवल (रायपुर) तह. रायपुर जिला- ब्यावर का निवासी हूँ मेरे पिताजी श्री हजारी सिंह जी के खिलाफ पुलिस थाना रायपुर में प्रकरण सं- 12/2024 में धारा 420, 467,468 एवं 471 एवं 120-B IPC में दर्ज करवा रखा है उक्त मुकदमें का अनुसंधान वर्तमान में ASI श्री भगाराम जी पुलिस चौकी –पिपलिया कला पुलिस थाना –रायपुर कर रहे हैं मेरे पिताजी हजारी सिंह जी आयु- 62 वर्ष होकर वृद्ध होने से कोर्ट –कचहरी के काम मैं देखता हूँ उक्त मुकदमे के संबंध में भगाराम ASI ने मुझे पुलिस थाना रायपुर में 3 Dec 2025 को मिले थे तथा कहा कि आपके मुकदमे में FR लगवानी है तो मुझे खर्चे-पानी के दो लाख रूपए देने पड़ेंगे अन्यथा आपके पिताजी को गिरफ्तार कर लूँगा मैं मेरे जायज काम के लिए भगाराम ASI को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ और रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकद्वाना चाहता हूँ मेरे एवं ASI भगाराम के मध्य कोई लेन देन बकाया नहीं है और न ही कोई आपसी दुश्मनी है मेरे पिताजी बुजुर्ग होने से उक्त कोर्ट – कचहरी के कार्य हेतु मुझे अधिकृत कर रखा है अतः रिपोर्ट उचित कार्यवाही हेतु पेश है दिनांक – 6 Dec 2025 प्रार्थीsdअजयपाल सिंह s/o हजारी सिंहग्राम – खिवल तह- रायपुरजिला – ब्यावरमो. कार्यवाही एसीबी दिनांक 06-12-2025 वक्त 05-15 पीएमइस समय दर्ज रहे कि दिनांक 05-12-2025 को वक्त 08-06 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर परिवादी श्री अजय पाल सिह के मोबाईल नंबर से काल आया तथा परिवादी ने पुलिस चौकी पीपलिया के एएसआई द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत की जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को उक्त शिकायत के क्रम मे आगे की कार्यवाही के बारे मे समझाईस कर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाने के बारे मे बताया तो परिवादी ने सहमत होते हुए बताया कि मै पाली आने मे असमर्थ हूं तथा मै आपको पीपलिया पुलिस चौकी के पास हाईवे पर मिल सकता हूं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तो शाम का समय हो चूका है कल आप पीपलिया पुलिस चौकी के पास हाईवे पर मिलना जिस पर परिवादी ने बताया कि मै ब्यावर नौकरी करता हूं तथा दो बजे बाद फ्री होउंगा उसके बाद ही ब्यावर से पीपलिया पुलिस चौकी के पास हाईवे पर मिल पाउंगा। परिवादी के बताये अनुसार परिवादी को कल दिनांक 06-12-2025 को शाम को करीब पांच बजे पीपलिया पुलिस चौकी के पास हाईवे पर मिलने का कहा। परिवादी श्री अजयपाल के उक्त शिकायत के क्रम मे उच्चाधिकारीयों को हालात निवेदन कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्री भवानी सिह हैड कानि मय कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड के जरिये सरकारी वाहन के समय 04-00 पीएम पर ब्यूरो चौकी पाली द्वितीय से रवाना होकर पीपलिया के पास स्थित होटल न्यू सिंधी के पास वक्त 05-10 पीएम पर पहुंचा तथा परिवादी श्री अजयपाल सिह से संपर्क किया जिस पर परिवादी श्री अजयपाल सिह उक्त स्थान पर स्वयं की स्कूटी से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आया। परिवादी श्री अजयपाल सिह एक लिखित रिपोर्ट मन अतिरिकत् पुलिस अधीक्षक को इस आशय की पेश की कि मै अजयपाल सिह s/o श्री हजारी सिह जाति रावत उम्र 30 वर्ष निवासी खिंवल (रायपुर) तहसील रायपुर जिला ब्यावर का निवासी हूं। मेरे पिताजी श्री हजारी सिंह जी के खिलाफ पुलिस थाना रायपुर मे एक प्रकरण सं 12/2024 मे धारा 420, 467, 468, एवं 471 एवं 120 B IPC मे दर्ज करवा रखा है। उक्त मुकदमे का अनुसंधान वर्तमान मे ASI श्री भगाराम जी पुलिस चौकी पीपलिया कला, पुलिस थाना रायपुर कर रहे है मेरे पिताजी हजारी सिह जी की उम्र 62 वर्ष होने व वृद्ध होने से कोर्ट कचहरी का काम मै देखता हूं। उक्त मुकदमे के संबंध मे भगाराम ASI ने मुझे पुलिस थाना रायपुर मे दिनांक 03 Dec 2025 को मिले थे तथा कहा कि आपके मुकदमे मे FR लगवानी है तो मुझे खर्चे पानी के दो लाख रूपये देने पडेंगें अन्यथा आपके पिताजी को गिरफतार कर लूंगा। मै मेरे जायज काम के लिए भगाराम ASI को रिश्वत नही देना चाहता हूं। और रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरे व ASI भगाराम के मध्य कोई लेन देन बकाया नही है और न ही कोई आपसी दुश्मनी है। मेरे पिताजी बुजुर्ग होने से उक्त कोर्ट कचहरी के कार्य हेतु मुझे अधिकृत कर रखा है। उक्त रिपोर्ट उचित कार्यवाही हेतू पेश है। परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी ने बताया कि मै स्नातक तक पढा लिखा हूं तथा वर्तमान मे मै शिक्षा विभाग मे कनिष्ट सहायक के पद पर कार्यरत हूं। परिवादी श्री अजयपाल सिह ने उक्त रिपोर्ट खुद कलमी लिखित होकर रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा रिपोर्ट मे लिखे समस्त तथ्य सही होना बताया। साथ ही परिवादी ने मुकदमा संख्या 12/2024 की

फोटो कॉपी एवं स्वयं के आधार कार्ड की फोटो कॉपी प्रस्तुत की जिसका भी अवलोकन कर रिपोर्ट के संलग्न किया गया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि मेरे पिताजी के खिलाफ पुलिस थाना रायपुर मे मुकदमा संख्या 12/2024 दर्ज है जिसकी तफतीश पूर्व मे श्री भंवर जी द्वारा की जा रही थी तथा उन्होने इस मुकदमे मे कागजों के जांच हेतु कागज एफएसएल भेजे थे। वर्तमान मे हमारे इस मुकदमे की तफतीश श्री भगाराम एएसआई कर रहे है। मुकदमे मे कागजों की एफएसएल रिपोर्ट मिल चूकी है। दिनांक 03-12-2025 को मै पुलिस थाना रायपुर गया तो थाने मे मुझे श्री भगाराम जी एएसआई मिले और कहा कि तुम्हारे पिताजी के खिलाफ मुकदमे मे कागजों की एफएसएल रिपोर्ट आ गई है उसमे एफआर लगवानी है तो दो लाख रूपये देने पडेंगें और यदि नही दोगे तो मुकदमे मे तुम्हारे पिताजी को गिरुफतार कर लूंगा। मै श्री भगाराम एएसआई को रिश्वत नही देना चाहता हूं तथा उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। परिवादी की रिपोर्ट मे अंकित तथ्य लोकसेवक द्वारा रिश्वत राशि मांग करने से संबंधित होने से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि मे आने से प्रथमत रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने के संबंध मे समझाईस की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री अजयपाल सिह को हमराह लाया हुआ कार्यालय हाजा का डिजिटल वॉयस रिकार्डर संचालन की प्रक्रिया के बारे मे समझाईस कर परिवादी व हमराह श्री भवानी सिह हैड कानि का आपस मे परिचय करवाया गया। तत्पश्चात समय- 05-25 पीएम पर मन अतिरिकत् पुलिस अधीक्षक ने हमराह लाया हुआ कार्यालय हाजा का डिजिटल वॉयस रिकार्डर मे नया मैमोरी कार्ड डालकर श्री भवानी सिह हैड कानि को सुपुर्द कर परिवादी श्री अजयपाल सिह के साथ रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के लिए आवश्यक हिदायत कर पुलिस चौकी पीपलिया के लिए परिवादी की स्कूटी से रवाना किया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरकारी वाहन के न्यू सिंधी होटल के आस पास मुकीम रहा। तत्पश्चात समय- 05-55 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा श्री भवानी सिह हैड कानि व परिवादी श्री अजयपाल सिह स्कूटी सहित मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आये। श्री भवानी सिह हैड कानि ने डिजिटल वॉयस रिकार्डर बंद हालात मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मै व परिवादी अजयपाल सिह आपके पास से रवाना होकर पुलिस चौकी पीपलिया से थोडा पहले पहूंचे जहां पर परिवादी से स्कूटी रूकवाकर मैने सरकारी डिजिटल वॉयस रिकार्डर जिसमे नया मैमोरी कार्ड लगा हुआ को चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर पुलिस चौकी पीपलिया की तरफ गोपनीय सत्यापन हेतु रवाना किया तथा मै पुलिस चौकी से थोडी दूरी पर अपनी उपस्थिती छुपाते हुए हाईवे पर खडा रहा। करीब बीस मिनट बाद परिवादी मेरे पास आया तथा डिजिटल वॉयस रिकार्डर मुझे वापस सुपुर्द किया जिसे मैने बंद कर अपने कब्जे मे रखा उसके बाद हम दोनो वहां से रवाना होकर आपके पास आये है। तत्पश्चात परिवादी श्री अजयपाल सिह से पूछने पर बताया कि मै डिजिटल वासय रिकार्डर को चालू हालत मे अपनी जेब मे रखकर अपनी स्कूटी से पीपलिया पुलिस चौकी पहुंचा जहां चौकी परिसर मे बाहर की तरफ मुझे श्री भगाराम एएसआई मिले जिन्होने मुझसे कहा कि क्या करना है बताओ मैने कहा आप आदेश करो तो श्री भगाराम जी ने कहा कि एक ही मदद कर सकता हूं कोर्ट मे सिविल वाद का हवाला देकर एफआर सिविल मे दे दूंगा मै चाहूं तो मामला उलझा सकता हूं तु बता, काम करवाना है तो पैसे लगेंगें, जिस पर श्री भगाराम जी ने दो लाख् रूपये मांगे तो मैने कहा कि मेरी तन्ख्वाह तो पन्द्रह हजार ही है और जमीन भी कीमती नही है केवल नाक का सवाल है इसलिए केस लड रहे है। जिस पर श्री भगाराम जी ने कहा कि मुझे आगे तक मैनेज करना पडता है सबको विश्वास मे लेना पडेगा, फिर मेरे द्वारा विनती करने पर पहले डेढ लाख मांगे तथा बाद मे सवा लाख रूपये तय किये और कहा कि परसों तक एक लाख रूपये दे दो बाकी के इक्कीस हजार रूपये बाद मे दे देना। मैने पैसों की व्यवस्था करने के लिए टाईम मांगा तो मुझे कल पैसे लाने का कहा जिस पर मैने सोमवार मंगलवार तक टाईम मांगा है। श्री भगाराम जी ने मुझे कहा कि किसी तीसरे आदमी को इस बारे मे मत बताना और जब आओ तो बिना फोन किये हुए आना। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालू कर रिकार्ड वार्ता को सुना तो परिवादी की बताई बातों की ताईद हुई। रिश्वत राशि मांग के गोपनीय सत्यापन वार्ता के रिकार्ड से श्री भगाराम एएसआई द्वारा परिवादी के पिताजी के खिलाफ मुकदमे मे एफआर लगाने की एवज मे रिश्वत राशि के एक लाख ईक्कीस हजार रूपये मांग करने की पुष्टी होना पाया जाता है। कार्यालय हाजा का डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के बंद कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे मे सुरक्षित रखा। परिवादी श्री अजयपाल सिह ने बताया कि मुझे रिश्वत राशि की व्यवस्था करने मे दो तीन दिन लगेंगे। रिश्वत राशि की व्यवस्था करके मै एसीबी आफिस पाली आ जाउंगा। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि की व्यवस्था होने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का श्री भवानी सिह हैड कानि से जरिये मोबाईल संपर्क करे साथ ही इस कारवाई के संबंध मे गोपनीयता की हिदायत कर परिवादी श्री अजयपाल सिह को वक्त 06-35 पीएम पर अपनी सकूनत के लिए रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्री भवानी सिह हैड कानि मय कार्यालय हाजा का डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड एवं परिवादी की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजात सहित जरिये सरकारी वाहन के ब्यूरो चौकी पाली के लिए रवाना हुआ। ततपश्चात समय- 08-15 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन अतिरिकत पुलिस अधीक्षक हमराह श्री भवानी सिह हैड कानि जरिये सरकारी वाहन के कार्यालय हाजा पाली उपस्थित आया। ततपश्चात रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्डशुदा मूल मैमोरी कार्ड कार्यालय के डिजिटल वायस रिकार्डर मे से निकालकर कार्यालय के लैपटाप मे कनेक्ट कर रिकार्ड वार्ता को कॉपी किया गया तत्पश्चात मूल मैमोरी

कार्ड को पुन लैपटाप से निकालकर तथा हमराह लाई हुई परिवादी की रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात अपने कब्जे मे सुरक्षित रखे। तत्पश्चात श्री भवानी सिह हैड कानि को निर्देशित किया कि कार्यालय के लेपटौप मे सेव रिकार्ड वार्ता को सुन सुन कर वार्ता के शब्दो का टंकण कम्प्युटर के माध्यम से करे तथा बाद टंकण टंकणिय शब्दों का प्रिंट निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश करे तथा रिकार्ड वार्ता की गोपनीयता की हिदायत की गई। तत्पश्चात दिनांक- 08-12-2025 समय- 10-30 एएम पर उपरोक्त फिकरा के निर्देशानुसार श्री भवानी सिह हैड कानि ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का टंकण कर टंकण की हार्ड कापी का प्रिंट निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द की जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने टंकणीय शब्दो का मिलान रिकार्ड वार्ता से किया जाकर टंकण की साफट कापी लैपटाप मे सेव रखवाई गई। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता गवाह व परिवादी की उपस्थिती मे टंकणिय शब्दों को मिलान कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार कि जावेगी। तत्पश्चात श्री भवानी सिह हैड कानि को निर्देशित किया कि परिवादी श्री अजयपाल सिह से संपर्क करते रहे उसके द्वारा दी गई सूचना से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करावे। रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय संदिग्ध लोक सेवक ने परिवादी श्री अजयपाल सिह को सोम मंगलवार तक रिश्वत राशि लेकर बुलाया था जिस पर दिनांक 09-12-2025 को श्री भवानी सिह हैड कानि द्वारा परिवादी से संपर्क करवाया गया तो परिवादी ने बताया कि आज शाम को मै तीन बजे बाद फ्री होउंगा तथा उसके बाद ही एसओ से संपर्क कर उनके बताये अनुसार ही रिश्वत राशि लेन देन के लिए जाउंगा। परिवादी के बताये अनुसार आज शाम को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन होने से ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह की आवशयकता होने के कारण स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु उप निदेशक समाज कल्याण विभाग पाली के नाम पत्र जारी कर गवाहान की तलबी हेतु श्री पूनाराम कानि को उप निदेशक कार्यालय पाली के लिए रवाना किया गया तथा कार्यालय हाजा के समस्त स्टाफ को प्रायोजित ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय मे ही उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया गया। तत्पश्चात समय- 01-15 पीएम पर श्री पूनाराम कानि उप निदेशक कार्यालय पाली से स्वतंत्र गवाह श्री अजय कनिष्ट लेखाकार व श्री अमराराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी को हमराह लेकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान का परिचय प्राप्त करने पर अपना अपना नाम अमराराम पुत्र श्री पीराराम जाति देवासी उम्र 37 साल निवासी पराखिया पुलिस थाना सांडेराव जिला पाली राज हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पाली राज0 व अजय पुत्र श्री सुखदेव जाति जाट उम्र 25 साल निवासी राजोला कल्ला पुलिस थाना शिवपुरा जिला पाली राज हाल लेखाकार कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पाली राज0 बताया दोनो गवाहान को गोपनीय कार्यवाही के संबंध मे गोपनीयता की हिदायत कर कार्यालय मे ही उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया गया। ततपश्चात समय- 04-00 पीएम पर परिवादी श्री अजयपाल सिह से जरिये वाटस अप काल संपर्क किया तो परिवादी ने बताया कि मैने श्री भगाराम जी एएसआई से जरिये टेलीफोन संपर्क किया था तो उन्होने आज किसी काम से बाहर होना बताया तथा फ्री होने पर मुझे बताने का कहा है। परिवादी के बताये अनुसार आज दिनांक को गोपनीय कारवाई का आयोजन नही होने व परिवादी की आगामी सूचना तक कारवाई के लिए इंतजार करने के मददेनजर गवाहों को स्टेंटू रहने के लिए पाबंद कर अपनी अपनी सकूनत के लिए रवाना किया गया तथा ब्यूरो स्टाफ को भी स्टेंटू रहने के लिए पाबंद किया गया। तत्पश्चात दिनांक- 11-12-2025 समय- 06-00 पीएम पर परिवादी श्री अजयपाल सिह ने जरिये वाटसअप काल कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री भगाराम एएसआई ने मुझे कल दिनांक 12-12-2025 को तय की गई रिश्वत राशि एक लाख रूपये लेकर सुबह जल्दी 07-00 बजे तक पुलिस चौकी पीपलिया कला बुलाया है। परिवादी के बताये अनुसार आयोजित गोपनीय कारवाई के क्रम मे परिवादी को कल दिनांक 12-12-2025 को सुबह जल्दी 05-00 बजे के लगभग पीपलिया कला पुलिस चौकी से बर की तरफ हाईवे पर रिश्वत मे दी जाने वाली राशि एक लाख रूपये की व्यवस्था कर साथ लेकर आने की हिदायत की गई। परिवादी के बताये अनुसार कल सुबह जल्दी ट्रेप कारवाई का आयोजन होने से समस्त ब्यूरो स्टाफ एवं पाबंद शुदा स्वतंत्र गवाहान को भी कल सुबह जल्दी 04-00 बजे कार्यालय हाजा मे उपस्थित रहने की हिदायत की गई। ततपश्चात दिनांक- 12-12-2025 समय- 04-00 एएम पर कार्यालय हाजा का समस्त स्टाफ पूर्व के निदे्रशानुसार कार्यालय हाजा मे उपसिथत आये तथा पाबंदशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान भी कार्यालय हाजा मे उपस्थित आये। तत्पश्चात समय- 05-05 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह ब्यूरो स्टाफ श्री लक्ष्मण दान एएसआई, श्री भवानी सिह हैड कानि, श्री कुलदीप सिह कानि, श्री सतपाल कानि नंबर 294 मय कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर मय नया मेमोरी कार्ड व कारवाई से संबंधित दसतावेजात व रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड, ट्रेप बोक्स लैपटाप प्रिंटर विडियो रिकार्डर एवं अन्य ट्रेप कार्यवाही से संबंधित आवश्यक सामग्री व उपकरण सहित मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन से एवं अन्य ब्यूरो स्टाफ श्री प्रमोद सिह कानि नंबर 304 व स्वतंत्र गवाह श्री अमराराम व स्वतंत्र गवाह श्री अजय व कानि श्री पूनाराम न 165 मय फिनोफथलीन पाउडर के डिब्बे सहित अन्य निजी वाहन से पुलिस चौकी पीपलिया कला की तरफ रवाना हुए तथा शेष ब्यूरो स्टाफ श्री गोविंद वर्मा एएसआई, श्री मती कौशल्या म कानि, व श्री नारायण सिह कानि चालक को अग्रिम आदेश तक ब्यूरो कार्यालय मे मुकीम रहने कि हिदायत की गई तथा आगामी निर्देश पर कार्यालय हाजा का सरकारी वाहन बोलेरो लेकर निर्देशित स्थान पर पहुंचने की हिदायत की गई। तत्पश्चात समय- 06-

35 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त फिकरा के हमराहयान ट्रेप दल के सदस्यों एवं वाहनों सहित पुलिस चौकी पीपलिया कला से बर के बीच हाईवे पर गोपनीय स्थान पर पहुंचा तथा दोनो वाहनो को एकांत मे खडा करवाया जाकर वाहनों मे ही परिवादी के पहुंचने के इंतजार मे मुकीम रहा। ततपश्चात समय- 07-05 एएम पर परिवादी श्री अजयपाल सिह निदे्रशानुसार नियत स्थान पर स्वयं की स्कूटी से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आया तथा बताया कि भगाराम एएसआई ने मुझे आज रिश्वत राशि लेकर मिलने के लिए पुलिस चौकी पीपलिया कलां मे बुलाया है। मै श्री भगाराम एएसआई को उसके द्वारा पूर्व मे मांगी गई रिश्वत राशि एक लाख रूपये देने के लिए साथ लेकर आया हूं। तत्पश्चात उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी का आपस मे परिचय करवाया गया। परिवादी की रिपोर्ट गवाहान को पढाई गई तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन से संबंधित वार्ता के मुख्य मुख्य अंश लैपटाप के माध्यम से गवाहान को सुनाये गये। तत्पश्चात गवाहान ने गोपनीय कार्यवाही मे स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमती दी तथा परिवादी की रिपोर्ट पर अपने अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 07-15 एएम पर स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी अजयपाल सिह पुत्र श्री हजारी सिह जाति रावत उम्र 30 वर्ष निवासी खिंवल (रायपुर) तहसील रायपुर जिला ब्यावर राजस्थान द्वारा आरोपी श्री भगाराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस चौकी पीपलिया कला पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर राजस्थान को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि एक लाख रूपये जो 500-500 सौ रूपये के कुल 200 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के अपने पास से निकालकर पेश किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई रिश्वत राशि के एक लाख रूपये 500-500 रूपयो के कुल 200 नोटों के नंबर का विवरण निम्रानुसार है क्रम संख्यां - नोट का विवरण- नोटों के सीरियल नंबर 1 -एक नोट पांच सौ रूपये का 4HB795668, 2- एक नोट पांच सौ रूपये का 2BE206993, 3 -एक नोट पांच सौ रूपये का 1FV233663, 4 -एक नोट पांच सौ रूपये का 1FV233664, 5- एक नोट पांच सौ रूपये का 5GL686942, 6 -एक नोट पांच सौ रूपये का 3WL815767, 7- एक नोट पांच सौ रूपये का 8ES037858, 8 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0LU206901, 9- एक नोट पांच सौ रूपये का 1BN707312, 10- एक नोट पांच सौ रूपये का 9VM579271, 11- एक नोट पांच सौ रूपये का 7HQ334741, 12- एक नोट पांच सौ रूपये का 4RK221353, 13- एक नोट पांच सौ रूपये का 8LS271783, 14 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0KG587726, 15 - एक नोट पांच सौ रूपये का 0VH620625, 16- एक नोट पांच सौ रूपये का 1QG358111, 17- एक नोट पांच सौ रूपये का 1CP315659, 18- एक नोट पांच सौ रूपये का 6DF565181, 19 -एक नोट पांच सौ रूपये का 6LT620790, 20- एक नोट पांच सौ रूपये का 3FW407942, 21- एक नोट पांच सौ रूपये का 7VF833929, 22- एक नोट पांच सौ रूपये का 9RP438257, 23- एक नोट पांच सौ रूपये का 0SD675825, 24 -एक नोट पांच सौ रूपये का 7AV599283, 25- एक नोट पांच सौ रूपये का 7PG392330, 26 -एक नोट पांच सौ रूपये का 5SV507046, 27- एक नोट पांच सौ रूपये का 6TC954147, 28- एक नोट पांच सौ रूपये का 5FR149168,29 - एक नोट पांच सौ रूपये का 2AK555574, 30 - एक नोट पांच सौ रूपये का 3WL786010,31 -एक नोट पांच सौ रूपये का 8HH993934,32- एक नोट पांच सौ रूपये का 6BW586080,33 -एक नोट पांच सौ रूपये का 1AE672647,34- एक नोट पांच सौ रूपये का 4VT729506, 35 - एक नोट पांच सौ रूपये का 1RK163192,36 -एक नोट पांच सौ रूपये का 1RK057750,37 -एक नोट पांच सौ रूपये का 8DT103712,38- एक नोट पांच सौ रूपये का 0BR078296,39- एक नोट पांच सौ रूपये का 0SV811690,40 -एक नोट पांच सौ रूपये का 4SW457444,41 -एक नोट पांच सौ रूपये का 8UB892407,42 -एक नोट पांच सौ रूपये का 5NF701185,43 -एक नोट पांच सौ रूपये का 7LR210035, 44 -एक नोट पांच सौ रूपये का 7LR210033,45 -एक नोट पांच सौ रूपये का 6ME270173,46 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0AP839555,47 -एक नोट पांच सौ रूपये का 8WA114003,48 -एक नोट पांच सौ रूपये का 1FV503433,49 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0DS251525,50 -एक नोट पांच सौ रूपये का 5PP739806,51- एक नोट पांच सौ रूपये का 6PB483732,52 -एक नोट पांच सौ रूपये का 7CW236599,53 -एक नोट पांच सौ रूपये का 6BM315188,54 -एक नोट पांच सौ रूपये का 3KQ450302,55 -एक नोट पांच सौ रूपये का 9DF724116,56 -एक नोट पांच सौ रूपये का 4ND387652,57- एक नोट पांच सौ रूपये का 0TN362380,58 -एक नोट पांच सौ रूपये का 5LU127188,59 -एक नोट पांच सौ रूपये का 3GE986040,60 -एक नोट पांच सौ रूपये का 1SN678588,61- एक नोट पांच सौ रूपये का 8MP476480,62- एक नोट पांच सौ रूपये का 9LN394133,63 -एक नोट पांच सौ रूपये का 9LN394131,64 -एक नोट पांच सौ रूपये का 7LR210036,65 -एक नोट पांच सौ रूपये का 4LK264255,66- एक नोट पांच सौ रूपये का 4UD947748,67 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0FB506276,68 -एक नोट पांच सौ रूपये का 8AB019377,69 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2NH084156,70- एक नोट पांच सौ रूपये का 3PD374227,71 -एक नोट पांच सौ रूपये का 3KP774204,72 -एक नोट पांच सौ रूपये का 1WM506563,73 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2HC049284,74 -एक नोट पांच सौ रूपये का 7LR210034,75 -एक नोट पांच सौ रूपये का 7LR210032,76- एक नोट पांच सौ रूपये का 6AF905404,77 -एक नोट पांच सौ रूपये का 9AA197263,78 -एक नोट पांच सौ रूपये का 3NR259631,79 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2MS038662,80 -एक नोट पांच सौ रूपये का 9UL680485,81- एक नोट पांच सौ रूपये का 2AH918396,82 - एक नोट पांच सौ रूपये का

6EV738426,83- एक नोट पांच सौ रूपये का 3LS935306,84 - एक नोट पांच सौ रूपये का 3LS935316,85- एक नोट पांच सौ रूपये का 3LS935314,86 -एक नोट पांच सौ रूपये का 6DH428211,87- एक नोट पांच सौ रूपये का 8QA175133,88- एक नोट पांच सौ रूपये का 8UR393591,89 -एक नोट पांच सौ रूपये का 7FS075442,90 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2WV286774,91- एक नोट पांच सौ रूपये का 8ES706434,92 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0SH951335,93- एक नोट पांच सौ रूपये का 5WC594888,94- एक नोट पांच सौ रूपये का 2GP795740,95 -एक नोट पांच सौ रूपये का 6VG804045,96- एक नोट पांच सौ रूपये का 4DL125760,97 -एक नोट पांच सौ रूपये का 3LS935305, 98- एक नोट पांच सौ रूपये का 3LS935304, 99- एक नोट पांच सौ रूपये का 7GA853292, 100 - एक नोट पांच सौ रूपये का 7LR210031, 101-एक नोट पांच सौ रूपये का 6GV013039, 102-एक नोट पांच सौ रूपये का 3BG275775, 103-एक नोट पांच सौ रूपये का 7BD084342, 104- एक नोट पांच सौ रूपये का 6WV424422, 105- एक नोट पांच सौ रूपये का 2WN969213, 106-एक नोट पांच सौ रूपये का 6QD613357, 107 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0DE096483, 108-एक नोट पांच सौ रूपये का 4FC185980, 109 -एक नोट पांच सौ रूपये का 6GA545705, 110-एक नोट पांच सौ रूपये का 7NW397147, 111- एक नोट पांच सौ रूपये का 6RM367033, 112 -एक नोट पांच सौ रूपये का 9CM791519, 113- एक नोट पांच सौ रूपये का 9AH843649, 114-एक नोट पांच सौ रूपये का 3BN335139, 115- एक नोट पांच सौ रूपये का 2FU592846, 116-एक नोट पांच सौ रूपये का 5HQ309982,117-एक नोट पांच सौ रूपये का 1ES283453,118-एक नोट पांच सौ रूपये का 9PH951061,119-एक नोट पांच सौ रूपये का 7UR938163,120-एक नोट पांच सौ रूपये का 7SQ975316, 121-एक नोट पांच सौ रूपये का 8DQ703053, 122- एक नोट पांच सौ रूपये का 0HS573781, 123-एक नोट पांच सौ रूपये का 3HP978937, 124- एक नोट पांच सौ रूपये का 6DE682254, 125 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0ED497511,126-एक नोट पांच सौ रूपये का 5QS301321,127 -एक नोट पांच सौ रूपये का 4MQ875634,128 -एक नोट पांच सौ रूपये का 8SA935155, 129 -एक नोट पांच सौ रूपये का 4BD898915, 130 -एक नोट पांच सौ रूपये का 5GM207083,131-एक नोट पांच सौ रूपये का 9EV872076, 132-एक नोट पांच सौ रूपये का 3EM382649,133-एक नोट पांच सौ रूपये का 1KL404624, 134-एक नोट पांच सौ रूपये का 4HU222570,135-एक नोट पांच सौ रूपये का 5CP733006,136- एक नोट पांच सौ रूपये का 7BU547254,137-एक नोट पांच सौ रूपये का 9RE346358,138-एक नोट पांच सौ रूपये का 8AN560963, 139-एक नोट पांच सौ रूपये का 1QW521195,140-एक नोट पांच सौ रूपये का 7KK141000, 141-एक नोट पांच सौ रूपये का 6HS096890,142- एक नोट पांच सौ रूपये का 8BN029519, 143 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2PL530576, 144-एक नोट पांच सौ रूपये का 5PL041181,145-एक नोट पांच सौ रूपये का 0AG387013,146-एक नोट पांच सौ रूपये का 8WM968189, 147 -एक नोट पांच सौ रूपये का 3RL457779, 148- एक नोट पांच सौ रूपये का 0AU354249, 149 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0BV341819, 150-एक नोट पांच सौ रूपये का 5PL098549,151-एक नोट पांच सौ रूपये का 2LP150932, 152-एक नोट पांच सौ रूपये का 1GH002898,153- एक नोट पांच सौ रूपये का 7SL577695,154-एक नोट पांच सौ रूपये का 6HH793938,155- एक नोट पांच सौ रूपये का 6HU313696, 156-एक नोट पांच सौ रूपये का 2NP606192,157-एक नोट पांच सौ रूपये का 4VP378136, 158-एक नोट पांच सौ रूपये का 3RK170548, 159 -एक नोट पांच सौ रूपये का 3VD027839, 160-एक नोट पांच सौ रूपये का 3UA550261, 161 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2HF096038, 162-एक नोट पांच सौ रूपये का 1NR941939,163- एक नोट पांच सौ रूपये का 6AG853370, 164- एक नोट पांच सौ रूपये का 1FL506890,165 -एक नोट पांच सौ रूपये का 8SQ765219, 166-एक नोट पांच सौ रूपये का 1PR972277,167 - एक नोट पांच सौ रूपये का 6UG938040, 168 -एक नोट पांच सौ रूपये का 7EP118786,169-एक नोट पांच सौ रूपये का 6QW508005, 170- एक नोट पांच सौ रूपये का 4SE131296,171-एक नोट पांच सौ रूपये का 9AE050999, 172-एक नोट पांच सौ रूपये का 5WS384972,173- एक नोट पांच सौ रूपये का 4AG178317, 174-एक नोट पांच सौ रूपये का 1KF623230, 175- एक नोट पांच सौ रूपये का 7NM727267,176-एक नोट पांच सौ रूपये का 3BD875799, 177 -एक नोट पांच सौ रूपये का 4LL958232,178-एक नोट पांच सौ रूपये का 5WG872007, 179- एक नोट पांच सौ रूपये का 5DQ692242,180 एक नोट पांच सौ रूपये का 9KE799826,181- एक नोट पांच सौ रूपये का 7TW314967,182- एक नोट पांच सौ रूपये का 1ED540473,183-एक नोट पांच सौ रूपये का 6CK951698, 184-एक नोट पांच सौ रूपये का 6CK951699,185 -एक नोट पांच सौ रूपये का 4CK349825, 186-एक नोट पांच सौ रूपये का 7FL306459,187-एक नोट पांच सौ रूपये का 5LM664604, 188-एक नोट पांच सौ रूपये का 3FG180925,189-एक नोट पांच सौ रूपये का 8BD466593,190-एक नोट पांच सौ रूपये का 7CT382420,191-एक नोट पांच सौ रूपये का 1KS965651,192-एक नोट पांच सौ रूपये का 9VT767557, 193-एक नोट पांच सौ रूपये का 2GM998854,194-एक नोट पांच सौ रूपये का 3VB633841, 195-एक नोट पांच सौ रूपये का 7SM308216,196- एक नोट पांच सौ रूपये का 0BW494966,197-एक नोट पांच सौ रूपये का 3QC996643,198-एक नोट पांच सौ रूपये

का 8GU066524, 199-एक नोट पांच सौ रूपये का 6RF905123, 200-एक नोट पांच सौ रूपये का 4NU157836, उपरोक्त नोटों के फिनोफथलीन पाउडर लगाये जाने हेतु कार्यालय हाजा से हमराह आए श्री पूनाराम कानि नंबर 165 को ब्यूरो कार्यालय से रवाना होने से पूर्व फिनोफथलीन पाउडर का डिब्बा सुपूर्द किया था जो कानि पूनाराम नंबर 165 से उसके पास से निकलवाकर उपरोक्त सभी नोटों को पूराने अखबार पर रखवाये जाकर श्रीपूनाराम कानि से उपरोक्त सभी नोटों पर हल्का हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया तत्पश्चात परिवादी श्री अजयपाल सिह की जामा तलाशी गवाह श्री अजय से लिवाई जाकर परिवादी के पास कोई आपतिजनक राशि वस्तु एवं दस्तावेजात इत्यादी नही रहने दिया गया तथा परिवादी के पास केवल परिवादी का मोबाईल रहने दिया गया। तत्पश्चात फिनोफथलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि एक लाख रूपये परिवादी श्री अजयपाल सिह के पहनी हुई शर्ट की उपर की बांयी जेब मे श्री पूनाराम कानि से ही रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि रिश्वत राशि को हाथ नही लगावे तथा श्री भगाराम एएसआई के मांगने पर ही अपनी जेब से निकालकर उसे देवे, राशि देने से पूर्व व पश्चात श्री भगाराम एएसआई से हाथ नही मिलावे अभिवादन की आवश्यकता होने पर दूर से ही हाथ जोडकर नमस्कार/अभिवादन करे। साथ ही परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी श्री भगाराम एएसआई द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद वह रिश्वत राशि को कहा रखता है अथवा छुपाता है इस बात का विशेष ध्यान रखे। रिश्वत राशि आरोपी श्री भगाराम द्वारा प्राप्त करने के पश्चात मन खींव सिह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या ट्रेप पार्टी के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर दो तीन बार हाथ फेर कर या मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नंबर   या श्री भवानी सिह हैड कानि के मोबाईल नंबर   पर काल या मिस काल कर गोपनीय ईशारा करे। तत्पश्चात ट्रेप बाक्स मे से प्लास्टिक का पारदर्शी गिलास मंगवाया जाकर गिलास मे साफ पानी भरवाया गया तथा उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घौल तैयार करवाया जाकर गवाह व परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरिन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त रंगहीन घोल मे रिश्वत राशि के नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री पूनाराम कानि0 के हाथों की अंगुलियों व अंगुठें को घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन ने भी गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया तत्पश्चात सभी हाजरिन को समझाईस की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि के नोटों के हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल मे हाथ धुलवाने पर घौल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की क्रिया प्रतिक्रिया के बारे मे सभी को भली भांति समझाया गया तत्पश्चात गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया तथा जिस अखबार पर नोटों के फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफथलीन पाउडर का डिब्बा श्री पूनाराम कानि0 के पास ही रहने दिया जाकर श्री पूनाराम कानि को आगे की कार्यवाही से अलग रखा गया तथा फिनोफथलीन पाउडर के डिब्बे सहित ब्यूरो चौकी पाली द्वितीय के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात समस्त् ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथों व ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग मे ली जाने वाली समस्त सामग्री आदि को भी साथ पानी व साबुन से दो दो बार धुलवाया जाकर पुन ट्रेप बाक्स मे रखवाया गया। तत्पश्चात परिवादी के अलावा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस मे जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपतिजनक वस्तु , दस्तावेज, एवं राशि आदि नही रहने दी गई तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो दल के सदस्य एवं गवाहान का अपना अपना मोबाईल स्वयं के पास रहने दिया गया। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत राशि लेन देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। इस कार्यवाही की फर्द पेश्कशी रिश्वत राशि सुपुर्दगी एवं दृ्ष्टांत फिनोफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर प्रथक से तैयार कर फर्द मे विस्त्रत विवरण अंकित कर फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय- 08-15 एएम पर परिवादी श्री अजयपाल सिह को रिश्वत राशि लेन देन हेतु पुलिस चौकी पीपलिया कला की तरफ स्वंय की स्कूटी से रवाना कर हिदायत दी गई कि पुलिस चौकी पीपलिया कला से सौ दो सौ मीटर पहले रूके। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, हमराह ट्रेप दल के सदस्यों एवं वाहनो सहित गोपनीय स्थान से परिवादी के पीछे पीछे पुलिस चौकी पीपलिया के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात पुलिस चौकी पीपलिया कला से करीब सौ दो सौ मीटर पूर्व ही परिवादी हाईवे पर रूका जहां पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी हमराहयान ट्रेप दल के सदस्यों मय वाहनों के रूका वाहनों को साईड मे खडा करवाया तथा कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर मे नया मैमोरी कार्ड डालकर रिकार्डर चालू कर रिश्वत राशि लेन देन के वक्त की वार्ता रिकार्ड करने हेतु श्री भवानी सिह हैड कानि से परिवादी को सुपुर्द करवाया जाकर परिवादी को रिश्वत राशि लेन देन के लिए पुलिस चौकी पीपलिया की तरफ रवाना किया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन को कानि कुलदीप सिह् को सुपुर्द कर पुलिस चौकी से आगे पीपलिया कस्बा की तरफ गोपनीय स्थान पर आगामी आदेश के इंतजार मे मुकीम रहने के लिए रवाना किया गया तथा श्री भवानी सिंह हैड कानि व स्वतंत्र गवाह श्री अमराराम को पुलिस चौकी के सामने वाली रोड पर डिवाइडर के पार रोड के दूसरी तरफ गोपनीय इशारे के इन्तजार मे मुकिम रहने के लिये रवाना किया गया तथा हमाराह दूसरे निजि वाहन मे श्री प्रमोदसिंह कानि,श्री सतपाल कानि को आगामी आदेश के इन्तजार मे पुलिस चौकी पीपलिया से बर की तरफ जाने वाली रोड पर चौकी से करीब 300 फिट दूर मुकिम रहने रवाना किया तथा मन अतिरिक्त् पुलिस अधीक्षक व श्री लक्ष्मण दान एएसआई व स्वतंत्र गवाह श्री अजय पुलिस

चौकी के नजदीक पहुच कर गोपनीय इशारे के इन्तजार मे मुकिम रहने के लिये रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 09-22 एएम पर परिवादी श्री अजयपाल सिह ने रिश्वत राशि लेन-देन का पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा श्री भवानी सिह हैड कानि के मोबाईल पर मिस काल कर किया। जिस पर श्री भवानी सिह हैड कानि ने गोपनीय ईशारे के संबंध मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व श्री लक्ष्मण दान एएसआई गोपनीय ईशारे के इंतजार मे मुकीम शुदा गोपनीय स्थान से पुलिस चौकी पीपलिया की तरफ रवाना हुआ तथा ईशारे के इंतजार मे मुकीम शेष समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी तुरंत पुलिस चौकी पीपलिया पहुंचने के लिए निर्देशित किया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमरा श्री लक्ष्मण दान एएसआई, श्री भवानी सिह हैड कानि एवं स्वतंत्र गवाह श्री अमराराम अपने अपने मुकीम स्थान से रवाना होकर पुलिस चौकी पीपलिया कला के मुख्य गेट पर पहुंचा जहां परिवादी श्री अजयपाल सिह उपस्थित मिला जिसने ईशारा कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री भगाराम एएसआई पुलिस चौकी के सामने वाले कमरे मे है। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप दल के सदस्यों के दौड कर पुलिस चौकी परिसर मे प्रेवश किया तथा परिसर मे बने कक्ष मे पहुंचा तो कक्ष मे कोई व्यक्ति नही मिला जिस पर पुन कक्ष से बाहर आकर श्री भगाराम एएसआई को तलाश किया तो पुलिस चौकी परिसर के पश्चिम दिशा मे मोटरसाईकिल व गाडीयों के बीच मे से एक व्यक्ति दौडता हुआ चौकी परिसर की चार दीवारी को फांद कर पीछे की तरफ भागता हुआ दिखा। इसी दौरान गोपनीय ईशारे के इंतजार मे मुकीम अन्य ब्यूरो स्टाफ श्री सतपाल कानि, श्री प्रमोद सिह कानि व स्वतंत्र गवाह श्री अजय एवं कानि श्री कुलदीप सिह भी वाहनों सहित निर्देशानुसार पुलिस चौकी पीपलिया पहुंचे। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों को श्री भगाराम एएसआई के भागने के बारे मे बताया जिस पर श्री भवानी सिह हैड कानि व श्री लक्ष्मण दान एएसआई, पुलिस चौकी पीपलिया की दीवार फांदकर श्री भगाराम एएसआई को दस्तयाब करने के लिए पीछा किया। पुलिस चौकी के पीछे खेत होने से श्री भगाराम एएसआई को घेरकर दस्तयाब करने के लिए अन्य ब्यूरो स्टाफ प्रमोद सिह कानि , श्री सतपाल कानि व श्री कुलदीप सिह को भी निर्देशित किया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री अजयपाल सिह को रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त की वार्ता को रिकार्ड करने के लिए पूर्व मे दिया गया कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर अपने कब्जे मे लिया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री अमराराम को पुलिस चौकी पीपलिया कला के परिसर मे ही निगरानी हेतु रहने की हिदायत कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व स्वतंत्र गवाह श्री अजय भी श्री भगाराम एएसआई को दस्तयाब करने हेतु पुलिस चौकी पीपलिया कला के पीछे खेतों की तरफ रवाना होकर पुलिस चौकी से करीब 700 मीटर की दूरी पर खेत मे पहुंचा। उक्त खेत मे सरसों बोई हुई है जिसमे श्री भगाराम एएसआई के छुपने की जानकारी पीछा करने वाले ट्रेप दल के सदस्यों ने दी जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व संपूर्ण ट्रेप दल के सदस्य सरसों के खेत मे चारो तरफ से श्री भगाराम की काफी देर तक तलाशी करने पर सरसों के खेत मे श्री भगाराम एएसआई छुपा हुआ मिला जिसको दस्तयाब कर श्री भगाराम एएसआई के दोनो हाथों को कलाई के उपर से ब्यूरो स्टाफ श्री सतपाल कानि व स्वतंत्र गवाह श्री अजय से पकडवाकर सरसों की फसल से बाहर खुले मे लाया गया। इसी दौरान परिवादी श्री अजयपाल सिह भी खेत मे मौके पर आ गया। तत्पश्चात दस्तयाब शुदा श्री भगाराम एएसआई को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहयान ब्यूरो स्टाफ व स्वतंत्र गवाह का परिचय देकर आने के मंतव्य से अवगत करवाया तत्पश्चात श्री भगाराम एएसआई को परिचय पूछने पर अपना नाम भागाराम पुत्र श्री मांगीलाल जाति जाट उम्र 47 साल निवासी गांव बीरावास पुलिस थाना बिलाडा, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, चौकी प्रभारी पुलिस चौकी पीपलिया कला जिला ब्यावर राज होना बताया। श्री भागाराम को लंगडाते हुए चलने के बारे मे पुछा तो बताया कि आपको पुलिस चौकी पीपलिया के नजदीक आते देख मे पुलिस चौकी पीपलिया कला से भागने के लिए पुलिस चौकी की चारदीवारी से कूदा था जिसके कारण मेरा बांय पांव मुड गया था तथा उसके बाद मै खेतों मे उजड भागा इस वजह से पैर मे दर्द है उसके कारण मै लंगडाकर चल रहा हुं। तत्पश्चात आरोपी श्री भागाराम एएसआई को परिवादी श्री अजयपाल सिह को जानने के बारे मे पुछा तो श्री भागाराम एएसआई ने बताया कि मै इन्हे जानता हूं यह अजय है इसके पिताजी के खिलाफ धोखाधडी का मुकदमा चल रहा है जिसकी तफतीश मै कर रहा हूं। तत्पश्चात दस्तयाब शुदा आरोपी श्री भागाराम को परिवादी श्री अजयपाल सिह से ली गई रिश्वत राशि के बारे मे पुछने पर बताया कि मैने इनसे कोई रिश्वत राशि नही ली है आज यह पुलिस चौकी पीपलिया कला मे जरूर आया था और मेरे से मिला था तथा आधा पौन घंटा रूकने के बाद पुलिस चौकी से चला गया उसके बाद आप पुलिस चौकी पीपलिया कला मे आये तो आपको आता देख कर मै पुलिस चौकी पीपलिया कला के पीछे की तरफ खेतों मे भाग गया। जिस पर पास ही खडे परिवादी ने बताया कि मुझे आज सुबह जल्दी इन्होने रिश्वत के एक लाख रूपये लेकर बुलाया था जिस पर मै आज इनके द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि एक लाख रूपये देने के लिए पुलिस चौकी पीपलिया कला मे आया था तब इन्होने मेरे से पूर्व मे तयशुदा रिश्वत राशि के एक लाख रूपये जो पच्चास-पच्चास हजार की दो गडडीया पुलिस चौकी पीपलिया कला के कमरे मे मेरे से लेकर अपने हाथ मे रखे उसके बाद मै पुलिस चौकी पीपलिया कला से बाहर आ गया और पूर्व मे तयशुदा गोपनीय ईशारा किया जिस पर आप और आपकी टीम पुलिस चौकी पीपलिया कला मे आई तब आपको आता हुआ देखकर श्री भागराम एएसआई चौकी चारदीवारी फांद कर पीछे खेत मे कूद गये। तत्पश्चात आरोपी श्री भागाराम एएसआई को पुन तसल्ली देकर रिश्वत राशि कहां रखी है इसके बारे मे पुछा तो श्री

भागाराम ने कोई जवाब नही दिया। परिवादी श्री अजयपाल सिह से आरोपी भागाराम एएसआई द्वारा प्राप्त की गई रिश्वत राशि जब्त करना आवश्यक होने से रिश्वत राशि को खेतों मे आरोपी के छुपने व भागने वाले रास्ते पर तलाश करवाया गया लेकिन काफी तलाशी के बाद भी रिश्वत राशि नही मिली तथा रिश्वत राशि को पुलिस चौकी पीपलिया कला मे भी तलाश करवाया जाना आवश्यक होने एवं इस कारवाई से संबंधित आगे की कारवाई हेतु आरोपी भागाराम एएसआई के दोनो हाथ कलाई के उपर से सुरक्षा की द्रष्टि से ब्यूरो स्टाफ श्री सतपाल कानि एवं स्वतंत्र गवाह श्री अजय से पकडवाया जाकर हमराह वाहन को मौके पर मंगवाया जाकर आरोपी श्री भागाराम एएसआई के हाथ ब्यूरो स्टाफ श्री सतपाल कानि व स्वतंत्र गवाह श्री अजय से हाथ कलाई के उपर से पकडवाये हुए ही वाहन मे बिठाकर पुलिस चौकी पीपलिया कलां को रवाना हुआ तथा शेष ब्यूरो स्टाफ को आरोपी श्री भागाराम एएसआई के पुलिस चौकी पीपलिया कला से खेत मे भागने वाले रास्ते पर रिश्वत राशि की तलाश करते हुए पुलिस चौकी पीपलिया कला आने के लिए निर्देशित किया गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह दस्तयाब शुदा आरोपी श्री भागाराम एएसआई एवं ब्यूरो स्टाफ श्री सतपाल कानि व स्वतंत्र गवाह श्री अजय के वक्त् 11-40 एएम पर पुलिस चौकी पीपलिया कला पहुंचा। दस्तयाब शुदा आरोपी श्री भागाराम एएसआई को ब्यूरो स्टाफ व स्वतंत्र गवाह से हाथ पकडवाये हुए ही वाहन से उतारकर पुलिस चौकी पीपलिया कला के भवन के बरामदे मे बिठाया। पुलिस चौकी पर दो व्यक्ति उपस्थित मिले जिनको पुछने पर एक ने अपना नाम श्री दिनेश कानि न 1092 जो इस चौकी मे ही पदस्थापित होना बताया तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम बुधाराम तथा श्री भागाराम एएसआई का बहनोई होना बताया। कुछ समय पश्चात शेष ट्रेप दल के सदस्य भी पुलिस चौकी पीपलिया कला उपस्थित आये और बताया कि हमने आरोपी भागाराम के खेत मे भागने वाले रास्ते व आस पास रिश्वत राशि की तलाश की लेकिन रिश्वत राशि नही मिली। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व ट्रेप दल के सदस्यों के पुलिस चौकी पीपलिया कलां मे प्रवेश करते समय आरोपी श्री भागाराम एएसआई चौकी परिसर मे बने भवन के पश्चिम दिशा मे खुले मैदान मे रखे मोटरसाईकिलों व वाहनों के बीच से भागता हुआ नजर आया था जिससे संभावना प्रकट होती है कि आरोपी श्री भागाराम एएसआई द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात रिश्वत राशि को पुराने वाहनों मे कंही छुपाई हो या वाहनों के बीच फैंकी हो। इस संभावना के मददेनजर रिश्वत राशि की बरामदगी हेतु रिश्वत राशि की तलाशी की कारवाई अमल मे लाई जावेगी। आरोपी श्री भागाराम एएसआई द्वारा परिवादी से पूर्व मे तय की गई रिश्वत राशि मे से एक लाख रूपये अपने हाथ मे लेकर ट्रेप दल के सदस्यों को आता देख कर रिश्वत राशि को कंही छुपाया गया है या फैंका गया है जिसकी तलाशी प्रथक से करवाई जावेगी तथा रिश्वत राशि हाथ मे लेकर प्राप्त करने से आरोपी के हाथों एवं पहने हुए कपडों का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से अग्रिम हाथ धोवन की कारवाई करने का निर्णय लिया गया इसी दौरान ब्यूरो चौकी का अन्य स्टाफ श्री गोविंद वर्मा एएसआई , श्रीमती कौशल्या म कानि व श्री नारायण सिह कानि चालक मय सरकारी वाहन के नियत स्थान से निदे्रशानुसार पुलिस चौकी पीपलिया कला उपस्थित आये। तत्पश्चात ट्रेप कारवाई से संबंधित आगे की कारवाई संपादन हेतु हमराह वाहनों मे से हमराह लाये आवश्यक सामग्री, उपकरण, लेपटाप पि्रंटर, ट्रेप बाक्स इत्यादी मंगवाये जाकर चौकी परिसर के एक कक्ष मे आरोपी श्री भागाराम एएसआई के हाथ धोवन की कारवाई वक्त 12-40 पीएम पर प्रारंभ् करते हुए इस कार्यवाही की विडियो ग्राफी हेतु श्री कुलदीप सिह कानि को निर्देशित कर कार्यालय हाजा का विडियो रिकार्डर जिसमे नया मेमोरी कार्ड डालकर विडियो रिकार्डर चालू करवाया गया तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पुन अपना व हमराहयान व स्वतंत्र गवाहान का परिचय देते हुए आने के मंतव्य से अवगत करवाते हुए दस्तयाब शुदा श्री भागाराम एएसआई को उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम भागाराम पुत्र श्री मांगीलाल जाति जाट उम्र 47 साल निवासी गांव बीरावास पुलिस थाना बिलाडा, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, चौकी प्रभारी पुलिस चौकी पीपलिया कला जिला ब्यावर राज होना बताया। तत्पश्चात उपस्थित परिवादी श्री अजयपाल सिह की तरफ ईशारा कर श्री अजयपाल सिह को पहचानने के बारे मे पुछा तो श्री भागाराम एएसआई ने बताया कि मै इसे जानता हुं यह अजय है इसके पिताजी के विरूदध पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर मे दर्ज धोखाधडी के मामले का अनुसंधान मै कर रहा हूं, ततपश्चात आरोपी श्री भागाराम एएसआई को परिवादी से आज दिनांक 12-12-2025 को प्राप्त की गई रिश्वत राशि एक लाख रूपये के बारे मे पुछने पर बताया कि मैने इनसे कोई रिश्वत राशि नही ली है यह आज खुद ही आया था मेरे से मिलने तथा पहले भी दो चार बार आया काफी सारी सिफारिशे करवाई। ततपश्चात पास ही खडे परिवादी से पुछने पर बताया कि यह झुठ बोल रहे है इन्होने मेरे से मेरे पिताजी के खिलाफ दर्ज मुकदमे मे एफआर लगाने की एवज मे दो लाख रूपये मांगे थे जिसके बारे मे मेरे द्वारा विनती करने पर इन्होने एक लाख इक्कीस हजार रूपये रिश्वत राशि तय कर एक लाख रूपये पहले तथा इक्कीस हजार रूपये बाद मे देना तय किया था तथा तय की गई रिश्वत राशि के एक लाख रूपये लेकर इन्होने आज मुझे सुबह जल्दी बुलाया था जिस पर मैने आज इनके द्वारा तय की गई रिश्वत राशि के एक लाख रूपये पुलिस चौकी पीपलिया कला मे इसी कमरे मे दिए थे जो इन्होने मेरे से लेकर अपने हाथ मे रखे उसके बाद मै पुलिस चौकी से बाहर आया। तत्पश्चात आरोपी श्री भागाराम एएसआई को उसके द्वारा मांग की गई रिश्वत राशि की वार्ता जो पूर्व मे दौराने मांग सत्यापन रिकार्ड करवाई गई थी उस वार्ता को सुनाया गया तो आरोपी ने इस वार्ता मे एक आवाज स्वयं की होना बताया तथा दूसरी आवाज पास ही खडे परिवादी ने अपनी होना बताया। ततपश्चात रिश्वत राशि मांग संबंधि रिकार्ड वार्ता सुनने के पश्चात आरोपी को मांग की गई रिश्वत राशि

के बारे मे पुछने पर आरोपी द्वारा कोई जवाब नही दिया तथा निरूतर रहा। तत्पश्चात प्रक्रिया अनुसार हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए हमरा लाये ट्रेपबाक्स मे से प्लास्टिक के बडे पारदर्शी दो गिलास निकालकर दोनो गिलासों मे पीने का साफ पानी भरवाया गया तथा उक्त दोनो गिलास मे एक एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त दोनो गिलासों के घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे उपस्थितगण ने भी रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल अलग अलग गिलास के रंगहीन घोल मे श्री भागाराम एएसआई के अलग अलग हाथ की अंगुलिया व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर दाहिने हाथ के धोवन का रंग हल्का मटमैला झाईदार व बांये हाथ के धोवन का रंग भी हल्का मटमैला झाईदार हो गया जिसे उपस्थित गण ने भी दोनो धोवन को हल्का मटमैला झाईदार होना स्वीकार किया उक्त दोनो हाथ के धोवन को अलग अलग कांच की चार शीशियों मे आधा आधा भरवाया जाकर सील चिट कर चिटों पर अलग अलग हाथों का विवरण व कारवाई का विवरण अंकित किया जाकर मार्क RH -1 व RH -2 तथा LH -1 व LH -2 अंकित किया गया तथा चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर चारो शीशियों को कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री भागाराम एएसआई द्वारा परिवादी श्री अजयपाल सिह से प्राप्त की गई रिश्वत राशि बरामद करना आवश्यक है तथा आरोपी भागाराम एएसआई ने रिश्वत राशि ट्रेप दल के सदस्यों को देखकर खुर्द बुर्द करने की मंशा से चौकी परिसर मे ही कंही फैंक दी ग या छुपाई गई है जिसकी तलाशी हेतु मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी के सदस्य, स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी व दस्तयाब शुदा आरोपी को हमरा लेकर चौकी परिसर मे स्थित भवन के पास ही खडे पुलिस के जब्त वाहनों एवं इत्यादी मे तलाश करवाई तो दौराने तलाशी परिसर मे ही खडे वाहनों के बीच पुलिस चौकी के अन्य प्रकरणों मे जब्त शुदा एक मोटरसाईकिल सीडी डिलक्स के साईड के बैग के अंदर पांच पांच सौ रूपयों की दो गडडीया पडी मिली उक्त नोटों की गडडीयों को यथा स्थान बैग मे ही पडा रहने दिया जाकर हमरा कार्यालय हाजा के विडियो कैमरा से विडीयो रिकार्डिंग करवाई गई। उक्त मोटरसाईकिल का अवलोकन करने पर मोटरसाईकिल हीरो होंडा कंपनी की सीडी डिलक्स बिना नंबरी जिसके इंजन नंबर HA11ECB9C03521 चैसिस नंबर MBLHA11EMB9C02837 होना तथा बैग स्लेटी रंग का जिस पर FLU BELIEVE IN THE BEST लिखा हुआ पाया गया। तत्पश्चात पूर्व मे तैयारशुदा फर्द पेश्कशी रिश्वत राशि की प्रति मंगवाई जाकर फर्द मे वर्णित नोटों के नंबरों मे से गडडी के उपरी नोट का मिलान किया गया तो फर्द मे अंकितानुसार नोट के नंबर पाये गये जिस पर हमराह गवाह श्री अमरराराम से रिश्वत राशि के दोनो बंडलों को मोटरसाईकिल के बैग मे से निकलवाकर उसके पास ही रहने दिए गये तथा रिश्वत राशि बरामदगी स्थल बैग को उक्त मोटरसाईकिल से गवाह श्री अजय से खुलवाकर धोवन लेने हेतु स्वतंत्र गवाह श्री अजय के पास रहने दिया गया। तत्पश्चात बरामद शुदा संपूर्ण् रिश्वत राशि के नोटो के नंबरों का मिलान फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटों के नंबरो का मिलान हुबहु होना पाया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है। क्रम संख्यां - नोट का विवरण- नोटों के सीरियल नंबर 1 -एक नोट पांच सौ रूपये का 4HB795668, 2- एक नोट पांच सौ रूपये का 2BE206993, 3 -एक नोट पांच सौ रूपये का 1FV233663, 4 -एक नोट पांच सौ रूपये का 1FV233664, 5- एक नोट पांच सौ रूपये का 5GL686942, 6 -एक नोट पांच सौ रूपये का 3WL815767, 7- एक नोट पांच सौ रूपये का 8ES037858, 8 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0LU206901, 9- एक नोट पांच सौ रूपये का 1BN707312, 10- एक नोट पांच सौ रूपये का 9VM579271, 11- एक नोट पांच सौ रूपये का 7HQ334741, 12- एक नोट पांच सौ रूपये का 4RK221353, 13- एक नोट पांच सौ रूपये का 8LS271783, 14 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0KG587726, 15 - एक नोट पांच सौ रूपये का 0VH620625, 16- एक नोट पांच सौ रूपये का 1QG358111, 17- एक नोट पांच सौ रूपये का 1CP315659, 18- एक नोट पांच सौ रूपये का 6DF565181, 19 -एक नोट पांच सौ रूपये का 6LT620790, 20- एक नोट पांच सौ रूपये का 3FW407942, 21- एक नोट पांच सौ रूपये का 7VF833929, 22- एक नोट पांच सौ रूपये का 9RP438257, 23- एक नोट पांच सौ रूपये का 0SD675825, 24 -एक नोट पांच सौ रूपये का 7AV599283, 25- एक नोट पांच सौ रूपये का 7PG392330, 26 -एक नोट पांच सौ रूपये का 5SV507046, 27- एक नोट पांच सौ रूपये का 6TC954147, 28- एक नोट पांच सौ रूपये का 5FR149168,29 - एक नोट पांच सौ रूपये का 2AK555574, 30 - एक नोट पांच सौ रूपये का 3WL786010,31 -एक नोट पांच सौ रूपये का 8HH993934,32- एक नोट पांच सौ रूपये का 6BW586080,33 -एक नोट पांच सौ रूपये का 1AE672647,34- एक नोट पांच सौ रूपये का 4VT729506, 35 - एक नोट पांच सौ रूपये का 1RK163192,36 -एक नोट पांच सौ रूपये का 1RK057750,37 -एक नोट पांच सौ रूपये का 8DT103712,38- एक नोट पांच सौ रूपये का 0BR078296,39- एक नोट पांच सौ रूपये का 0SV811690,40 -एक नोट पांच सौ रूपये का 4SW457444,41 -एक नोट पांच सौ रूपये का 8UB892407,42 -एक नोट पांच सौ रूपये का 5NF701185,43 -एक नोट पांच सौ रूपये का 7LR210035, 44 -एक नोट पांच सौ रूपये का 7LR210033,45 -एक नोट पांच सौ रूपये का 6ME270173,46 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0AP839555,47 -एक नोट पांच सौ रूपये का 8WA114003,48 -एक नोट पांच सौ रूपये का 1FV503433,49 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0DS251525,50 -एक नोट पांच सौ रूपये का 5PP739806,51- एक नोट पांच सौ रूपये का 6PB483732,52 -एक नोट पांच सौ रूपये का 7CW236599,53 -एक नोट पांच सौ रूपये का 6BM315188,54 -एक नोट पांच सौ रूपये का 3KQ450302,55 -एक

नोट पांच सौ रूपये का 9DF724116,56 -एक नोट पांच सौ रूपये का 4ND387652,57- एक नोट पांच सौ रूपये का 0TN362380,58 -एक नोट पांच सौ रूपये का 5LU127188,59 -एक नोट पांच सौ रूपये का 3GE986040,60 -एक नोट पांच सौ रूपये का 1SN678588,61- एक नोट पांच सौ रूपये का 8MP476480,62- एक नोट पांच सौ रूपये का 9LN394133,63 -एक नोट पांच सौ रूपये का 9LN394131,64 -एक नोट पांच सौ रूपये का 7LR210036,65 -एक नोट पांच सौ रूपये का 4LK264255,66- एक नोट पांच सौ रूपये का 4UD947748,67 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0FB506276,68 -एक नोट पांच सौ रूपये का 8AB019377,69 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2NH084156,70- एक नोट पांच सौ रूपये का 3PD374227,71 -एक नोट पांच सौ रूपये का 3KP774204,72 -एक नोट पांच सौ रूपये का 1WM506563,73 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2HC049284,74 -एक नोट पांच सौ रूपये का 7LR210034,75 -एक नोट पांच सौ रूपये का 7LR210032,76- एक नोट पांच सौ रूपये का 6AF905404,77 -एक नोट पांच सौ रूपये का 9AA197263,78 -एक नोट पांच सौ रूपये का 3NR259631,79 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2MS038662,80 -एक नोट पांच सौ रूपये का 9UL680485,81- एक नोट पांच सौ रूपये का 2AH918396,82 - एक नोट पांच सौ रूपये का 6EV738426,83- एक नोट पांच सौ रूपये का 3LS935306,84 - एक नोट पांच सौ रूपये का 3LS935316,85- एक नोट पांच सौ रूपये का 3LS935314,86 -एक नोट पांच सौ रूपये का 6DH428211,87- एक नोट पांच सौ रूपये का 8QA175133,88- एक नोट पांच सौ रूपये का 8UR393591,89 -एक नोट पांच सौ रूपये का 7FS075442,90 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2WV286774,91- एक नोट पांच सौ रूपये का 8ES706434,92 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0SH951335,93- एक नोट पांच सौ रूपये का 5WC594888,94- एक नोट पांच सौ रूपये का 2GP795740,95 -एक नोट पांच सौ रूपये का 6VG804045,96- एक नोट पांच सौ रूपये का 4DL125760,97 -एक नोट पांच सौ रूपये का 3LS935305, 98- एक नोट पांच सौ रूपये का 3LS935304,99- एक नोट पांच सौ रूपये का 7GA853292, 100 -एक नोट पांच सौ रूपये का 7LR210031,101-एक नोट पांच सौ रूपये का 6GV013039,102-एक नोट पांच सौ रूपये का 3BG275775,103-एक नोट पांच सौ रूपये का 7BD084342, 104- एक नोट पांच सौ रूपये का 6WV424422, 105- एक नोट पांच सौ रूपये का 2WN969213,106-एक नोट पांच सौ रूपये का 6QD613357,107 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0DE096483,108-एक नोट पांच सौ रूपये का 4FC185980, 109 -एक नोट पांच सौ रूपये का 6GA545705,110-एक नोट पांच सौ रूपये का 7NW397147, 111- एक नोट पांच सौ रूपये का 6RM367033,112 -एक नोट पांच सौ रूपये का 9CM791519, 113- एक नोट पांच सौ रूपये का 9AH843649,114-एक नोट पांच सौ रूपये का 3BN335139, 115- एक नोट पांच सौ रूपये का 2FU592846,116-एक नोट पांच सौ रूपये का 5HQ309982, 117-एक नोट पांच सौ रूपये का 1ES283453,118-एक नोट पांच सौ रूपये का 9PH951061,119-एक नोट पांच सौ रूपये का 7UR938163, 120-एक नोट पांच सौ रूपये का 7SQ975316,121-एक नोट पांच सौ रूपये का 8DQ703053, 122- एक नोट पांच सौ रूपये का 0HS573781, 123-एक नोट पांच सौ रूपये का 3HP978937,124-एक नोट पांच सौ रूपये का 6DE682254,125 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0ED497511,126-एक नोट पांच सौ रूपये का 5QS301321,127 -एक नोट पांच सौ रूपये का 4MQ875634,128 -एक नोट पांच सौ रूपये का 8SA935155, 129 -एक नोट पांच सौ रूपये का 4BD898915,130-एक नोट पांच सौ रूपये का 5GM207083, 131-एक नोट पांच सौ रूपये का 9EV872076, 132-एक नोट पांच सौ रूपये का 3EM382649, 133-एक नोट पांच सौ रूपये का 1KL404624, 134-एक नोट पांच सौ रूपये का 4HU222570,135-एक नोट पांच सौ रूपये का 5CP733006, 136-एक नोट पांच सौ रूपये का 7BU547254,137-एक नोट पांच सौ रूपये का 9RE346358, 138-एक नोट पांच सौ रूपये का 8AN560963,139-एक नोट पांच सौ रूपये का 1QW521195, 140-एक नोट पांच सौ रूपये का 7KK141000, 141-एक नोट पांच सौ रूपये का 6HS096890, 142- एक नोट पांच सौ रूपये का 8BN029519, 143 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2PL530576, 144-एक नोट पांच सौ रूपये का 5PL041181, 145-एक नोट पांच सौ रूपये का 0AG387013, 146-एक नोट पांच सौ रूपये का 8WM968189, 147 -एक नोट पांच सौ रूपये का 3RL457779, 148-एक नोट पांच सौ रूपये का 0AU354249, 149 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0BV341819, 150-एक नोट पांच सौ रूपये का 5PL098549, 151-एक नोट पांच सौ रूपये का 2LP150932, 152-एक नोट पांच सौ रूपये का 1GH002898, 153- एक नोट पांच सौ रूपये का 7SL577695, 154-एक नोट पांच सौ रूपये का 6HH793938, 155-एक नोट पांच सौ रूपये का 6HU313696, 156-एक नोट पांच सौ रूपये का 2NP606192,157-एक नोट पांच सौ रूपये का 4VP378136, 158-एक नोट पांच सौ रूपये का 3RK170548, 159 -एक नोट पांच सौ रूपये का 3VD027839, 160-एक नोट पांच सौ रूपये का 3UA550261,161 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2HF096038, 162-एक नोट पांच सौ रूपये का 1NR941939, 163- एक नोट पांच सौ रूपये का 6AG853370, 164- एक नोट पांच सौ रूपये का 1FL506890, 165 -एक नोट पांच सौ रूपये का 8SQ765219, 166-एक नोट पांच सौ रूपये का 1PR972277, 167 -एक नोट पांच सौ रूपये का 6UG938040, 168 -एक नोट पांच सौ रूपये का 7EP118786,169-एक नोट पांच सौ रूपये का 6QW508005,170- एक नोट पांच सौ रूपये का 4SE131296, 171-एक नोट पांच सौ रूपये का 9AE050999,

172-एक नोट पांच सौ रूपये का 5WS384972, 173- एक नोट पांच सौ रूपये का 4AG178317, 174-एक नोट पांच सौ रूपये का 1KF623230, 175- एक नोट पांच सौ रूपये का 7NM727267, 176-एक नोट पांच सौ रूपये का 3BD875799,177 -एक नोट पांच सौ रूपये का 4LL958232,178-एक नोट पांच सौ रूपये का 5WG872007,179-एक नोट पांच सौ रूपये का 5DQ692242,180 एक नोट पांच सौ रूपये का 9KE799826,181- एक नोट पांच सौ रूपये का 7TW314967,182- एक नोट पांच सौ रूपये का 1ED540473,183-एक नोट पांच सौ रूपये का 6CK951698, 184-एक नोट पांच सौ रूपये का 6CK951699,185 -एक नोट पांच सौ रूपये का 4CK349825,186-एक नोट पांच सौ रूपये का 7FL306459,187-एक नोट पांच सौ रूपये का 5LM664604, 188-एक नोट पांच सौ रूपये का 3FG180925,189-एक नोट पांच सौ रूपये का 8BD466593, 190-एक नोट पांच सौ रूपये का 7CT382420,191-एक नोट पांच सौ रूपये का 1KS965651, 192-एक नोट पांच सौ रूपये का 9VT767557,193-एक नोट पांच सौ रूपये का 2GM998854,194-एक नोट पांच सौ रूपये का 3VB633841,195-एक नोट पांच सौ रूपये का 7SM308216, 196-एक नोट पांच सौ रूपये का 0BW494966,197-एक नोट पांच सौ रूपये का 3QC996643,198-एक नोट पांच सौ रूपये का 8GU066524,199-एक नोट पांच सौ रूपये का 6RF905123, 200-एक नोट पांच सौ रूपये का 4NU157836,है। उपरोक्त बरामद शुदा रिश्वत राशि 1,00,000/- रूपये के नंबरी नोटों को कागज के दो लिफाफों मे डालकर उक्त लिफाफों को सफेद कपडे की एक थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क- R अंकित किया गया तथा थैली पर संबंधित गण के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात रिश्वत राशि बरामदगी स्थल मोटरसाईकिल के साईड बैग का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से प्लास्टिक के बडे पारदर्शी डिस्पोजल के एक गिलास मे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे उपस्थितगण ने भी रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल मे सफेद कपडे की चिंदी डुबोकर बैग के अंदर घुमाकर रिश्वत राशि बरामदगी स्थल का धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी मटमैला हो गया जिसे उपस्थित गण ने भी गिलास के घोल को हल्का गुलाबी मटमैला होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त घौल को अलग अलग कांच की दो शिशियों मे आधा आधा भरवाया जाकर सील चिट कर चिटों पर कार्यवाही का विवरण अंकित किया जाकर मार्क B-1 व B -2 अंकित किया जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात उक्त बैग भी वजह सबूत होने से बैग व बैग के धोवन हेतु उपयोग मे ली गई कपडे की चिंदी को कपडे की थैली मे सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क- B अंकित कर संबंधित गण के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली को कब्जा ब्यूरो लिया गया। संभवत आरोपी श्री भागाराम एएसआई द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात रिश्वत राशि को बाहर छुपाने के लिये अपने पहने हुए लोवर की जेब मे डालकर बाहर गया हो तथा रिश्वत राशि को बाहर खडे वाहनों मे छुपाया है जो दौराने तलाशी बाहर खडी एक मोटरसाईकिल के बैग मे से बरामद हुई है इस हेतु आरोपी भागाराम एएसआई के पहने हुए लोवर की जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी श्री भागाराम एएसआई के पहनने हेतु चौकी के इस कक्ष मे रखे कपडों मे से आरोपी के स्वयं की जिंस पेंट मंगवाई जाकर आरोपी को पहनने हेतु दी गई तथा पहने हुए लोवर को उतरवाया गया। तत्पश्चात लोवर के साईड की दोनो जेब का धोवन लेने के लिए प्लास्टिक के बडे पारदर्शी डिस्पोजल दो अलग- अलग गिलास मे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त दोनो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे उपस्थितगण ने भी रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल दोनो गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी भागाराम एएसआई के पहने हुए लोवर के साईड की दांयी व बांयी जेब को उलटवाकर अलग-अलग गिलासों मे डुबो डुबो कर धुलवाया गया तो घौल का रंग परिवर्तित होकर क्रमश दाहिनी जेब के धोवन का रंग हल्का मटमैला झांईदार व बांयी जेब के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे उपस्थित गण ने गिलास के घौल का रंग क्रमश हल्का मटमैला झांईदार व हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त घौल को अलग अलग कांच की चार शिशियों मे आधा आधा भरवाया जाकर सील चिट कर चिटों पर कार्यवाही का विवरण अंकित किया जाकर मार्क क्रमश LRP-1 व LRP -2 व LLP-1 व LLP -2 अंकित किया गया तथा चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर चारों शीशियों को कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात श्री भागाराम एएसआई के पहना हुआ लोवर कार्यवाही मे वजह सबूत होने से लोवर को चैक किया गया तो लोवर की जेब मे कोई आपतिजनक वस्तु, दस्तावेजात व रूपये आदि नही पाये गये। उक्त लोवर के साईड की दोनो जेब को सुखाकर जेब पर संबंधित गण के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक कपडे की थैली मे सिल्ड कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधित गण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क- L अंकित किया जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। कारवाई के दौरान ट्रेप पार्टी पुलिस चौकी मे आने पर पुलिस स्टाफ के अलावा एक अन्य व्यक्ति बुधाराम, आरोपी श्री भागाराम एएसआई का रिश्तेदार उपस्थित था जिसको पुछने पर अपना नाम बुधाराम पुत्र थानाराम निवासी गांव बरना तह बिलाडा पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर होना बताया तथा स्वयं को बीएसएफ से रिटायर्ड कार्मिक बताया तथा कल शाम को श्री भागाराम एएसआई के पास पुलिस चौकी आना बताया तथा साथ ही परिवादी श्री अजयपाल सिह की तरफ ईशारा कर बताया कि यह व्यक्ति आज सुबह पुलिस चौकी मे आया था तथा मै व भागाराम एवं यह व्यक्ति हम तीनो व्यक्ति पुलिस चौकी के बारामदे मे बैठे एवं चाय पी, बातचीत की

तथा उसके बाद यह व्यक्ति और भागाराम दोनो बरामदे मे से उठकर अंदर कमरे मे गये उसके बाद यह व्यक्ति पुलिस चौकी से बाहर चला गया। अंदर कमरे मे भागाराम एएसआई और इसकी क्या बातचीत हुई इसकी मुझे जानकारी नही है। तत्पश्चात श्री भागाराम एएसआई को परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे मे पूछने पर बताया कि मैने कोई रिश्वत राशि नही ली तथा ना ही किसी अन्य के लिए भी ली है। तत्पश्चात परिवादी के पिताजी के मुकदमे की पत्रावली के बारे मे पुछने पर बताया कि पत्रावली मेरे कार्यालय कक्ष मे पडी है जिसमे अब अनुसंधान अधिकारी मै ही हूं। जिस पर श्री भागाराम को हमराह लेकर कार्यालय कक्ष मे गये तो टेबल पर एक पत्रावली 12/2024 की पडी मिली। उक्त पत्रावली का अवलोकन किया तो पत्रावली के उपर थानाधिकारी पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर का पत्र क्रमांक 1356 दिनांक 16-10-2025 लगा हुआ तथा पत्रावली मे ही कुछ दस्तावेजात खुली हालात मे जिनको गिनवाये जाने पर कुल 36 वर्क व एक एफएसएल का खाली बडा लिफाफा होना पाया गया तथा पत्रावली के प्रष्ठो पर प्रष्ठांकन करवाया गया तो कुल 223 प्रष्ठ फाईल कवर सहित होना पाया गया। संपूर्ण पत्रावली व पत्रावली मे मिले खुले दस्तावेजात की छायाप्रति करवाई जाकर थानाप्रभारी से प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर शामिल कारवाई की गई। आरोपी श्री भागाराम एएसआई को उसके मोबाईल के बारे मे पूछने पर उसने बताया कि भागते समय मेरा मोबाईल खेतों मे कंही गिर गया जिसकी मुझे जानकारी नही है कहां गिरा है। जिस पर श्री भागाराम एएसआई के मोबाईल नंबर ज्ञात कर काल किया तो भागाराम एएसआई का मोबाईल् फोन स्वीच आफ होना पाया गया। तत्पश्चात रिश्वत राशि लेन देन के वक्त डिजिटल वायस रिकार्डर मे रिकार्ड करवाई हुई वार्ता को डिजिटल वायस रिकार्डर चालू कर सुना गया तो लेन देन के वक्त की वार्ता मे रिश्वत राशि लेन देन की वार्ता होना पाया गया। जिसकी फर्द ट्रांस्क्रिप्ट प्रथक से तैयार करने का निर्णय लिया जाकर डिजिटल वायस रिकार्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे मे सुरक्षित रखा। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से एकत्रित साक्ष्यों के विश्लेषण से भागाराम एएसआई पुलिस, प्रभारी पुलिस चौकी पीपलिया कलां पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर द्वारा परिवादी श्री अजयपाल सिह पुत्र श्री हजारी सिह से उसके पिताजी के खिलाफ दर्ज प्रकरण संख्या 12/2024 मे एफआर लगाने की एवज मे दौराने मांग सत्यापन रिश्वत राशि के रूप मे कुल 1,21,000/-रूपये रिश्वत राशि तय की गई जिसमे से 1,00,000/-रूपये पहले व 21000/-रूपये बाद मे देना तय किया जिसके अनुसरण मे आज दिनांक 12-12-2025 को पूर्व तशशुदा राशि 1,00,000/ रूपये प्राप्त कर अपने पहने हुए लोवर के बांयी जेब मे रखकर पुलिस चौकी परिसर मे जब्त शुदा वाहनो के बीच मे खडी एक मोटरसाईकिल के बैग मे छुपाये जो दौराने ट्रेप कार्यवाही बरामद होने से आरोपी श्री भागाराम पुत्र श्री मांगीलाल जाति जाट उम्र 47 साल निवासी गांव बीरावास पुलिस थाना बिलाडा, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, चौकी प्रभारी पुलिस चौकी पीपलिया कला जिला ब्यावर राज का उक्त क्रत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाता है। आरोपी भागाराम पुत्र श्री मांगीलाल जाति जाट उम्र 47 साल निवासी गांव बीरावास पुलिस थाना बिलाडा, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, चौकी प्रभारी पुलिस चौकी पीपलिया कला जिला ब्यावर राज को उसके द्वारा किये गये जुर्म से जरिये फर्द प्रथक से गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी मुर्तिब कर शामिल कार्यवाही किया जावेगा। तत्पश्चात उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई कार्यवाही वक्त 12-40 पीएम पर शुरू कि गई जो वक्त 06-55 पीएम पर संपादित हुई। फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धोवन की कार्यवाही प्रथक से मुर्तिब की गई जिस पर संबंधितगणो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही किया गया तथा धोवन की कार्यवाही मे उपयोग मे ली गई प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व चम्मच को जलाकर नष्ट करवाया गया। आरोपी श्री भागाराम एएसआई जो कि पुलिस विभाग का छोटे स्तर का अधिकारी होने से आरोपी भागाराम एएसआई के पास आय से अधिक परिसंपति अर्जित करने की संभावना नही होने के मददेनजर आरोपी के घर की खाना तलाशी नही लेने का निर्णय लिया गया। धोवन की कार्यवाही के दौरान ही परिवादी के कार्य से संबंधित प्रकरण संख्या 12/2024 पुलिस थाना रायपुर की पत्रावली की छायाप्रति प्रमाणितशुदा कार्यवाहक थानाप्रभारी श्री कैलाश्चंद्र एएसआई से प्राप्त कर मूल पत्रावली जरिये फर्द सुपुर्दगी श्री कैलाश् चंद्र को आवश्यक कारवाई हेतु सुपुर्द की गई। तत्पश्चात समय- 07-05 पीएम पर अब तक की ट्रेप कार्यवाही से उजागर हुए साक्ष्यों के विश्लेषण से आरोपी श्री भागाराम एएसआई द्वारा जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाने पर श्री भागाराम एएसआई को उसके जुर्म से आगाह कर विधिक प्रावधानानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी प्रथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई व गिरफतार शुदा आरोपी श्री भागाराम एएसआई के लिए भोजन की व्यवस्था कर भोजन करवाया गया। ततपश्चात समय- 07-15 पीएम पर फर्द नक्शा मौका रिश्वत राशि लेन देन घटना स्थल एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल परिवादी की निशादेही पर स्वतंत्र गवाहान की मौजुदगी मे मुर्तिब तैयार करना प्रारंभ किया गया। नक्शा मौका घटना स्थल तैयार करते समय रोशनी की माकूल व्यवस्था थी फर्द नक्शा मौका तैयार कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कारवाई किया गया। तत्पश्चात समय-07-45 पीएम पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाना शेष होने से उक्त रिकार्डिंग वार्ता को पूर्व मे शब्द ब शब्द टंकण करवाया जा चुका था जो हमराह कार्यालय हाजा के लेपटाप मे सेव थी तथा उक्त वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड भी मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे मे सुरक्षित थी । उक्त मांग सत्यापन

वार्ता के टंकणिय शब्दो का मिलान कार्यालय के अन्य लैपटाप मे मूल मैमोरी कार्ड डालकर साफटवेयर की मदद से लैपटाप के इनबिल्ड स्पीकर से सुन सुन कर समझ समझ कर शब्द ब शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब करना प्रारंभ किया गया। जो वक्त 09-15 पीएम तक पूर्ण कर फर्द पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। मूल मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड वार्ता को कार्यालय के लैपटाप के माध्यम से दो पैन ड्राईव मे डालकर डब कापी तेयार की गई। मांग सत्यापन के मूल मेमोरी कार्ड की हेस वेल्यु निकाली गई तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4)(सी) के तहत प्रमाण पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी कर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात मांग सत्यापन वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड को लैपटाप से निकालकर प्लास्टिक की डिब्बी मे डालकर कपडे की थैली मे शील्ड किया गया तथा दोनो डब पैन ड्राईव को खुली हालत मे रखा जाकर कब्जा ब्यूरो लिया जाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे मे सुरक्षित रखा। तत्पश्चात समय- 09-30 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही मौके पर ही संपादित की जाने वाली कार्यवाही संपादित की जा चुकी है मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह ब्यूरो स्टाफ एवं स्वतंत्र गवाह व गिरफतार शुदा आरोपी श्री भागाराम एएसआई एवं परिवादी श्री अजयपाल सिह व ट्रेप कार्यवाही से संबंधित मुताबिक फर्दात के जब्त शुदा समस्त वजह सबूत एवं कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजात व रिश्वत राशि लेन देन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड एवं हमराह लायी गई आवश्यक सामग्री व उपकरण सहित हमराह वाहनों से पुलिस चौकी पीपलिया कला से कार्यालय हाजा पाली के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात समय- 10-45 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिकरा के उपरोक्त हमराहयान एवं उपरोक्त फिकरा के मालखाना वजह सबूत सहित ब्यूरो कार्यालय पाली पहुंचा। इस कार्यवाही से संबंधित जब्त शुदा दस धोवन की शीशियां, रिश्वत राशि पैकेट, श्श्वित राशि बरामदगी स्थल बैग का पैकेट, आरोपी श्री भागाराम एएसआई के पहने हुए लोवर का पैकेट एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड का एक पैकेट व इसी वार्ता के दो पैन ड्राईव खुली हालात मे, मालखाना प्रभारी श्री भवानी सिह हैड कानि को सुपुर्द कर शील्ड शुदा समस्त आईटम जमा मालखाना करवाया जाकर मालखाना रजिस्टर मे इंद्राज करवाया गया। तत्पश्चात दिनांक- 13-12-2025 समय- 01-20 एएम पर रिश्वत राशि लेन देन के वक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रूबरू गवाहान एवं परिवादी के श्री भवानी सिह हैड कानि से कार्यालय के लैपटाप मे लेन देन के वक्त की रिकार्ड वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड डालकर साफटवेयर की मदद से लैपटाप के इनबिल्ड स्पीकर से सुन सुन कर समझ समझ कर शब्द ब शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन देन वार्ता तैयार कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया। इस वार्ता के दो डब/कापी पेन ड्राईव तैयार किये जाकर खुली हालात मे रखे गये। तत्पश्चात लेन देन के वक्त की वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड की हेस वेल्यु निकाली गई तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4)(सी) के तहत प्रमाण पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी कर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक की डिब्बी मे डालकर कपडे की थैली मे शील मोहर किया गया थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। इस रिकार्डिंग वार्ता मे रिकार्ड आवाज की पहचान परिवादी श्री अजयपाल सिह ने एक आवाज स्वयं की व दुसरी आवाज आरोपी श्री भागाराम एएसआई की होना बताया तथा तीसरी आवाज अन्य व्यक्ति आरोपी के रिश्तेदार की होना बताया। फर्द ट्रांसिक्रिप्ट लेन देन वार्ता वक्त 06-15 एएम तक संपादित हुई। तत्पश्चात समय- 06-20 एएम पर ट्रेप कार्यवाही मे हाथ धोवन, तलाशी रिश्वत राशि एवं बरामदगी रिश्वत राशि कार्यवाही की विडियोग्राफी कार्यालय हाजा के विडियो रिकार्डर से करवाई गई थी उक्त विडियो रिकार्डर मे से मूल मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड की हैस वेल्यु निकाली तथा मेमोरी कार्ड के दो डब/ कापी पैन ड्राईव तैयार किये जाकर खुली हालात मे रखा गया तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4)(सी) के तहत प्रमाण पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी कर शामिल कार्यवाही किया गया। मूल मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक की डिब्बी मे डालकर सफेद कपडे की थैली मे शील्ड किया गया व दो डब/कापी पैन ड्राईव खुली हालात रखे गये। उक्त मूल मैमोरी कार्ड को जरिये फर्द जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया जिसकी फर्द जब्ती अलग से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। रिश्वत राशि लेन देन के वक्त की वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड का सील्ड शुदा पैकेट व इसी वार्ता के दो खुली हालात मे पैन ड्राईव एवं विडियो ग्राफी का मूल मैमोरी कार्ड सील्ड शुदा पैकेट एवं इसी विडियो ग्राफी के दो पैन ड्राईव खुली हालात मालखाना प्रभारी श्री भवानी सिह को सुपुर्द किया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। ततपश्चात समय- 06-40 एएम पर कार्यवाही से संबंधित जब्त किये गये वजह सबूत के पैकेट व शीशियों को शील्ड करने मे प्रयोग मे ली गई पीतल की सील का नमूना फर्द प्रथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय- 11-15 एएम पर संपूर्ण कार्यवाही संपादित हो जाने पर दोनो स्वतंत्र गवाह व परिवादी को अपने अपने सकूनत के लिए रवाना किया गया।उपरोक्त तथ्यों एवं एकत्रित साक्ष्यों के विश्लेषण से भागाराम एएसआई पुलिस, प्रभारी पुलिस चौकी पीपलिया कलां पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर द्वारा परिवादी श्री अजयपाल सिह पुत्र श्री हजारी सिह से उसके पिताजी के खिलाफ दर्ज प्रकरण संख्या 12/2024 मे एफआर लगाने की एवज मे दौराने मांग सत्यापन रिश्वत राशि के रूप मे कुल 1,21,000/-रूपये रिश्वत राशि तय की गई जिसमे से 1,00,000/-रूपये पहले व 21000/-रूपये बाद मे देना तय किया जिसके अनुसरण मे आज दिनांक 12-12-2025 को पूर्व तशशुदा राशि 1,00,000/ रूपये प्राप्त कर अपने पहने हुए लोवर के बांयी जेब मे रखकर पुलिस चौकी परिसर के मे जब्त शुदा वाहनो के बीच मे खडी एक मोटरसाईकिल के बैग मे छुपाये जो दौराने ट्रेप कार्यवाही बरामद होने से आरोपी श्री भागाराम पुत्र श्री मांगीलाल जाति

जाट उम्र 47 साल निवासी गांव बीरावास पुलिस थाना बिलाडा, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, चौकी प्रभारी पुलिस चौकी पीपलिया कला जिला ब्यावर राज का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी भागाराम पुत्र श्री मांगीलाल जाति जाट उम्र 47 साल निवासी गांव बीरावास पुलिस थाना बिलाडा, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, चौकी प्रभारी पुलिस चौकी पीपलिया कला जिला ब्यावर राज के विरूदध बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे।भवदीय(खींव सिह)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली द्वितीय.............कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री खींव सिह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री भागाराम पुत्र श्री मांगीलाल, जाति जाट, उम्र 47 साल, निवासी गांव बीरावास, पुलिस थाना बिलाडा, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर, हाल सहायक उप निरीक्षक, चौकी प्रभारी पुलिस चौकी पीपलिया कलां, जिला ब्यावर, राज. के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महेश श्रीमाली, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 195 पर अंकित है। (अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक पुलिस,-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1862-65 दिनांक 13.12.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली 2- पुलिस अधीक्षक, जिला पाली 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय। उप महानिरीक्षक पुलिस,-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MAHESH SRIMALI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 13/12/2025 18:

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): ANIL KAYAL

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1978				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)